सं. 158] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 17, 2006/आश्विन 25, 1928
No. 158] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 17, 2006/ASVINA 25, 1928

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 12 अक्तूबर, 2006

सं. टीएएमपी/15/2005-एनएसआईसीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा, संलग्न आदेशानुसार, न्हावा-शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड (एनएसआईसीटी) के दरमान को अधिसूचित करता है ।

अनुसूची

प्रकरण सं. टीएएमपी/15/2005-एनएसआईसीटी

आदेश

(सितम्बर 2006 के 28वें दिन को पारित)

इस प्राधिकरण ने न्हावा-शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड (एनएसआईसीटी) के दरमान में 12% कमी, प्रभावित करते हुए दिनांक 7 मार्च 2006 को एक आदेश पारित किया था जो दिनांक 19 अप्रैल 2006 को भारत का राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

2. कंटेनर शिपिंग लाइन्स असोसिएशन (इंडिया) (सीएसएलए) ने अपना ई-मेल दिनांक 19 जून 2006 द्वारा, इस प्राधिकरण को यह सूचित करते हुए अनुरोध किया है कि एनएसआईसीटी द्वारा अपने दरमान में लागू की गयी कमी, प्राधिकरण के आदेश दिनांक 7 मार्च 2006, के अनुरुप नहीं है। इसके बारे में पूछे जाने पर एनएसआईसीटी ने इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने आदेश को पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया है और इस प्राधिकरण को खण्ड 1 से 10 तक के संशोधित दरमान को प्रस्तुत किया था।

3. चूँकि, दिनांक 7 मार्च 2006 का आदेश, एनएसआईसीटी के दरमान की वर्तमान शर्त संख्या 9 तथा खण्ड 1 से 4 से ही संबद्ध है, जुलाई 2005 में अधिसूचित दरमान की शर्त सं.9 और खण्ड 1 से 4 में ही संशोधन किया जाना है।

4.1. सभी महापत्तनों और महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 42(3) के अंतर्गत प्राधिकृत प्राईवेट टर्मिनलों पर लगाये जानेवाले, तटीय कार्गो/कंटेनर/जलयान से संबन्धित प्रभारों के लिए, रियायती दरों को निर्धारित करते हुए इस प्राधिकरण ने सरकार से प्राप्त हुए नीति निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 7 जनवरी 2005 को एक आदेश पारित किया था। तदनुसार, कंटेनर संबन्धित प्रभारों के मामले में, सम्मिश्र कंटेनर दर पर रियायत लागू है। जहाँ मदवार दरें लगाई जाती हैं वहाँ रियायत जलयान और तट के बीच अंतरण क्वे से भंडारण यार्ड और व्युत्क्रम में अंतरण से संबंधित प्रभारों के साथ कन्टेनर और कार्गो पर पोतघाट भाडे पर भी सभी प्रासंगिक प्रभारों पर लगाई जाएगी। एनएसआईसीटी के मामले में, कंटेनर-प्रहस्तन हेतु निर्धारित दरें, कंटेनरों की ढुलाई तथा प्रहस्तन के लिए समेकित प्रभार होते हैं। ऐसी स्थिति में तटीय रियायतें सिर्फ कन्टेनर दरों पर ही लागू होती हैं। तथापि, यह रियायत, यार्ड से ट्रक तक/ट्रक से यार्ड तक, यार्ड से रेल तक/रेल से यार्ड तक और यार्ड से सीएफएस तक/सीएफएस से यार्ड तक कंटेनरों के प्रहस्तन के लिए उपलब्ध अलग प्रशुल्क मदों के विषय में अनिवार्य नहीं है।

4.2. दिनांक 22 जुलाई 2005 के आदेश द्वारा संशोधित एवं भारत का राजपत्र में अधिसूचित किये गये, एनएसआईसीटी के संशोधित दरमान में यार्ड से ट्रक तक/ट्रक से यार्ड तक, यार्ड से रेल तक/रेल से यार्ड तक और यार्ड से सीएफएस तक/सीएफएस से यार्ड तक एनएसआईसीटी पर प्रहस्तन कंटेनरों के लिए तटीय रियायत दरें अनायास ही निर्धारित कर दी गई हैं जो सरकार द्वारा जारी किये गये तटीय रियायत नीति निर्देश के अनुसार अनिवार्य नहीं है।

4.3. इस भूल को सुधारने हेतु, अगस्त 2005 में अधिसूचित संशोधित दरमान का परिशोधन किया जाता है। तदनुसार, खण्ड 1,3 और 4 की सारणी-ख, सारणी-ग तथा सारणी-घ में निर्धारित रियायती तटीय दरों को और एनएसआईसीटी की संशोधित दरों की अनुसूची के सामान्य टिप्पण के तहत शर्त सं.9 में नोट (iv) में निर्धारित रियायती तटीय दरों को हटाया जाता है। यह संशोधन, दिनांक 22 जुलाई 2005 के आदेश के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि से प्रभावित हुआ माना जाता है और दिनांक 7 मार्च 2006 के आदेश के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि तक वैध रहेगा।

5. इस प्राधिकरण द्वारा, अपने दिनांक 7 मार्च 2006 के आदेश में, आदेशित प्रशुल्क में 12% कमी को व्यक्त करनेवाले संशोधित दरमान को अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया जाता है और संशोधित दरमान में दी गई विभिन्न दरों तथा सशर्तों की प्रभावी तिथि वही रहेगी जो दिनांक 7 मार्च 2006 के आदेश में जैसे पहले से दर्शायी गई है।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2006-असा.]

अनुबंध

न्हावा-शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड

इसका संदर्भ आदेश सं.टीएएमपी/15/2005-एनएसआईसीटी दिनांक 7 मार्च 2006 से है।

I. दरों की अनुसूची के खण्ड 1,2,3 और 4 में दिए गए वर्तमान प्रशुल्कों को निम्नलिखित अनुसूचियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :-

कंटेनरों और कंटेनरबद्ध कार्गो की ढुलाई और प्रहस्तन के लिए समेकित प्रभार

खण्ड-1 सभी सामान्य और रीफर कंटेनरों के लिए प्रभार

क. पत्तन क्रेन का प्रयोग करते हुए पोत से यार्ड/यार्ड से पोत

विवरण	विदेशगामी (रूपयों में)			तटीय (रूपयों में)		
	20'	40'	40' से अधिक	20'	40'	40' से अधिक
भरे हुए कंटेनर	2288	3432	4576	1373	2059	2746
आईसीडी कंटेनर	2288	3432	4576	1373	2059	2746
खाली कंटेनर	1848	2772	3696	1109	1663	2218

ख. यार्ड से सीएफएस/सीएफएस से यार्ड - परिवहन और सीएफएस पर लिफ्ट

विवरण	विदेशगामी (रूपयों में)		
	20'	40'	40' से अधिक
भरे हुए कंटेनर	814	1221	1628
खाली कंटेनर	814	1221	1628

ग. केवल आईसीडी के लिए यार्ड से रेल/रेल से यार्ड तक

विवरण	विदेशगामी (रूपयों में)		
	20'	40'	40' से अधिक
आईसीडी कंटेनर	1144	1716	2288

घ. यार्ड से ट्रक/ट्रक से यार्ड तक

विवरण	विदेशगामी (रूपयों में)		
	20'	40'	40' से अधिक
भरे हुए कंटेनर	352	528	704
खाली कंटेनर	352	528	704

टिप्पणी: सामान्य कंटेनर साधारण किस्म के कंटेनर हैं, जोकि बाद में उल्लिखित किसी विशेष श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते।

खण्ड-2 सभी पोतांतरण कंटेनरों के लिए प्रभार

क. 1 - 3000 टीईयू

विवरण	विदेशगामी (रूपयों में)			तटीय (रूपयों में)		
	20'	40'	40' से अधिक	20'	40'	40' से अधिक
भरे हुए कंटेनर	2640	3960	5280	1584	2376	3168
खाली कंटेनर	2288	3432	4576	1373	2059	2746

ख. 3001 - 6000 टीईयू

विवरण	विदेशगामी (रूपयों में)			तटीय (रूपयों में)		
	20'	40'	40' से अधिक	20'	40'	40' से अधिक
भरे हुए कंटेनर	2464	3696	4928	1478	2218	2957
खाली कंटेनर	2112	3168	4224	1267	1901	2534

ग. 6001 - 9000 टीईयू

विवरण	विदेशगामी (रूपयों में)			तटीय (रूपयों में)		
	20'	40'	40' से अधिक	20'	40'	40' से अधिक
भरे हुए कंटेनर	2288	3432	4576	1373	2059	2746
खाली कंटेनर	1936	2904	3872	1162	1742	2323

घ. 9000 टीईयू से अधिक

विवरण	विदेशगामी (रूपयों में)			तटीय (रूपयों में)		
	20'	40'	40' से अधिक	20'	40'	40' से अधिक
भरे हुए कंटेनर	2112	3168	4224	1267	1901	2534
खाली कंटेनर	1760	2640	3520	1056	1584	2112

टिप्पणी: 1. पोतांतरण कंटेनर, वह कंटेनर होता है जो एक जहाज से उतार कर यार्ड में रखा जाता है और अन्य पोत द्वारा परिवहन किया जाता है।

2. आरंभ में पोतांतरण कंटेनर के रूप में घोषित कंटेनर की बाद में रेल या सड़क द्वारा ढुलाई किए जाने पर पोतांतरण कंटेनर के रूप में पहचान समाप्त हो जाती है और उसे सामान्य आयात कंटेनर माना जाएगा तथा उनपर लागू निर्धारित प्रभार देय होंगे।

खण्ड-3 सभी खतरनाक कंटेनरों के लिए प्रभार

क. पत्तन क्रेन का प्रयोग करते हुए जहाज से यार्ड तक

विवरण	विदेशगामी (रूपयों में)			तटीय (रूपयों में)		
	20'	40'	40' से अधिक	20'	40'	40' से अधिक
भरे हुए कंटेनर	2640	3960	5280	1584	2376	3168
आईसीडी कंटेनर	2640	3960	5280	1584	2376	3168
पोतांतरण कंटेनर	2640	3960	5280	1584	2376	3168

ख. यार्ड से सीएफएस - परिवहन और सीएफएस में लिफ्ट

विवरण	विदेशगामी (रूपयों में)		
	20'	40'	40' से अधिक
भरे हुए कंटेनर	880	1320	1760

3293 GI/06-2

ग. केवल आईसीडी के लिए यार्ड से रेल तक

विवरण	विदेशगामी (रूपयों में)		
	20'	40'	40' से अधिक
आईसीडी	1320	1980	2640

घ. यार्ड से ट्रक तक

विवरण	विदेशगामी (रूपयों में)		
	20'	40'	40' से अधिक
भरे हुए कंटेनर	440	660	880

टिप्पणी: वह कंटेनर जिसमें आईएमओं के अन्तर्गत वर्गीकृत खतरनाक सामान भरा हो, खतरनाक कन्टेनर कहलाता है।

खण्ड-4 सामान्य आकार से बड़े सभी कार्गो कंटेनरों के लिए प्रभार

क. पत्तन क्रेन का प्रयोग करते हुए जहाज से यार्ड तक

विवरण	विदेशगामी (रूपयों में)			तटीय (रूपयों में)		
	20'	40'	40' से अधिक	20'	40'	40' से अधिक
भरे हुए कंटेनर	4576	6864	9152	2746	4118	5491
आईसीडी कंटेनर	4576	6864	9152	2746	4118	5491
पोतांतरण कंटेनर	4576	6864	9152	2746	4118	5491
खाली कंटेनर	3696	5544	7392	2218	3326	4435

ख. यार्ड से सीएफएस - परिवहन और सीएफएस में लिफ्ट

विवरण	विदेशगामी (रूपयों में)		
	20'	40'	40' से अधिक
भरे हुए कंटेनर	1628	2442	3256
खाली कंटेनर	1628	2442	3256

ग. केवल आईसीडी के लिए यार्ड से रेल तक

विवरण	विदेशगामी (रूपयों में)		
	20'	40'	40' से अधिक
आईसीडी कंटेनर	2288	3432	4576
खाली कंटेनर	2288	3432	4576

घ. यार्ड से ट्रक तक

विवरण	विदेशगामी (रूपयों में)		
	20'	40'	40' से अधिक
भरे हुए कंटेनर	704	1056	1408
खाली कंटेनर	704	1056	1408

टिप्पणी: सामान्य आकार के मानक कंटेनरों से बड़े आकार के कार्गो ढोने वाले कंटेनरों को, जिनके लिए गोफन (स्लिंग), कुंडे (शैकल) और सामान उठाने वाले बीम जैसे विशेष उपकरणों की जरूरत पड़ती है, बड़े आकार वाले कार्गो कंटेनर कहा जाता है। इनमें क्षतिग्रस्त कंटेनर तथा अन्य किस्म के वे कन्टेनर जिन्हें विशेष उपकरणों की अपेक्षा है, भी सम्मिलित हैं।

II. सामान्य टिप्पणियों के अंतर्गत मौजूदा शर्त संख्या 9 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"9. एनएसआईसीटी प्राधिकारियों की पूर्वानुमति से अपनी व्यवस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रचालन करने वाले पत्तन प्रयोक्ताओं को छूटें प्राप्त होंगी। शर्तों सहित लागू ये छूटें निम्नलिखित हैं:-

(i). तट से जहाज तक अथवा विलोमत: कंटेनरों के लदान/उतराई के लिए यदि जहाज के अपने उपस्कर प्रयोग किए जाते हैं, तो प्रहस्तन प्रभारों में निम्नलिखित छूटें प्राप्त होंगी :-

विवरण	छूट (रूपयों में)			तटीय (रूपयों में)		
	20'	40'	40' से अधिक	20'	40'	40' से अधिक
भरे हुए कंटेनर	528	704	1056	317	422	634
खाली कंटेनर	528	704	1056	317	422	634

(ii). यदि कोई पत्तन प्रयोक्ता (निम्नलिखित के बीच) कंटेनरों की ढुलाई में अपने ट्रैक्टर ट्रेलर (टीटी) प्रयोग करता है :-

(क). क्वे से कंटेनर यार्ड तक

अथवा

(ख). कंटेनर यार्ड से क्वे तक

तो प्रहस्तन प्रभारों में निम्नलिखित छूट अनुमत्य होगी :-

विवरण	छूट (रूपयों में)			तटीय (रूपयों में)		
	20'	40'	40' से अधिक	20'	40'	40' से अधिक
भरे हुए कंटेनर	264	396	528	158	238	317
खाली कंटेनर	264	396	528	158	238	317

(iii). यदि कोई पत्तन प्रयोक्ता कंटेनरों को बांधने/खोलने के लिए श्रमिक प्रदान करता है, तब प्रहस्तन प्रभारों में 26/- रूपए प्रति कंटेनर की छूट दी जाएगी।

यह छूट वास्तव में बांधे गए कंटेनरों की संख्या तक सीमित होगी।

(iv). यदि कोई पत्तन प्रयोक्ता कंटेनर यार्ड से ट्रक तक अथवा विलोमत: कंटेनर उठाने के लिए अपने उपस्कर लाता है, तो प्रहस्तन प्रभारों में निम्नलिखित छूट अनुमत्य होगी:-

विवरण	छूट (रूपयों में)		
	20'	40'	40' से अधिक
भरे हुए कंटेनर	220	330	440
खाली कंटेनर	220	330	440

(v). निजी उपस्कर द्वारा प्रहस्तन करके शहर में वापस लाए जाने वाले कंटेनरों पर कोई छूट अनुमत्य नहीं होगी।